No.I-27011/2/2017-Coord. भारत सरकार /Government of India कारपोरेट कार्य मंत्रालय /Ministry of Corporate Affairs

5th Floor, 'A' Wing, Shastri Bhavan Dr. Rajendra Prasad Road New Delhi-110 001 Dated: 17,02.2017

A copy of the Monthly Summary of the Ministry of Corporate Affairs for the month of January, 2017 is enclosed for information.

(Anil Prashar) Under Secretary to the Govt. of India

Tele: 23381349

Encl. As above.

All Members of the Council of Ministers

Copy, with enclosures, forwarded to:

- 1 Secretary to the President of India, Rashtrapati Bhawan, New Delhi
- 2. Secretary to the Vice-President of India, Cabinet Secretariat, New Delhi.
- 3 The Principal Director General, Ministry of I & B, Shastri Bhawan, New Delhi
- 4. Secretary, Deptt. of Telecommunications, Sanchar Bhawan, New Delhi
- 5. Secretary, Deptt. of Higher Education, Shastri Bhawan, New Delhi
- 6. Secretary, Deptt. of Statistics, Sardar Patel Bhawan, New Delhi
- 7. Secretary, Legislative Deptt., Shastri Bhawan, New Delhi
- 8. Secretary, Deptt. of Scientific & Industrial Research, C.S.I.R Building, Rafi Marg, New Delhi
- 9. Secretary, Ministry of Environment & Forest, Paryavaran Bhawan, New Delhi
- 10. Secretary, Ministry of Urban Development, Nirman Bhawan, New Delhi
- 11. Secretary, Deptt. of Revenue, North Block, New Delhi
- 12. Secretary, Deptt. of Industrial Development, Udyog Bhawan, New Delhi
- 13. Secretary, Deptt. of Defence Production & Supplies, South Block, New Delhi
- 14. Secretary, Deptt. of Legal Affairs, Shastri Bhawan, New Delhi

Copy to:

- (i) Economic Advisor, MCA
- (ii) PSO to Secretary, Ministry of Corporate Affairs
- (iii) PPS to Additional Secretary, Ministry of Corporate Affairs

Copy, also to: Dir (AK) - To upload the communication on official website of the MCA - under the caption "Monthly Summary of the Ministry of Corporate Affairs for the month of January, 2017"

(Anil Prashar)

Under Secretary to the Govt. of India

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

IMPORTANT POLICY DECISIONS TAKEN AND MAJOR ACHIEVEMENTS DURING THE MONTH OF JANUARY, 2017

(1) Notifications:-

- (i) During the month two notification(s) (one for private companies and the other for public companies) under section 462 of the Companies Act, 2013 [CA-13] have been issued providing for exceptions, modifications and adaptations from some of the provisions of the CA-13 for companies licensed to operate by the Reserve Bank of India or Securities and Exchange Board of India or Insurance Regulatory and Development Authority of India from the International Financial Services Centre (IFSC) located in an approved multi-services special economic zone set-up under Special Economic Zones Act, 2005 read with Special Economic Zones Rules, 2006.
- (ii) These notifications were issued on 4th January, 2017 after the corresponding draft notifications have completed the requisite laying period provided under Section 462 of the CA-13. Issue of these two notifications addresses the request made by Gujarat International Finance Tec-City (Gift City) for providing relevant exemptions etc. to such private/public companies operating from Gift City IFSC Area.
- (2) During the month, a draft Cabinet Note was circulated to the Ministries/Departments concerned for obtaining ex post facto approval of the Cabinet for Companies (Amendment) Bill, 2016 and for approval of the Cabinet for moving official amendments in the Bill in view of the recommendations made by Honourable Standing Committee on Finance in its Thirty Seventh Report.

सं. आई-27011/2/2017-समन्वय भारत सरकार कारपोरेट कार्य मंत्रालय

5वां तल, ए विंग, शास्त्री भवन, डा. राजेन्द्र प्रसाद रोड, नई दिल्ली-110001

तारीखः 17.02.2017

कारपोरेट कार्य मंत्रालय के जनवरी, 2017 माह के मासिक सार की प्रति सूचना हेतु संलग्न है।

(अनिल प्राशर)

भारत सरकार का अवर सचिव

दूरभाषः 23381349

संलग्नः उपरोक्तानुसार मंत्रिपरिषद के सभी सदस्य

प्रतिलिपि, संलग्नक सहित, निम्नलिखित को प्रेषित-

- 1. भारत के राष्ट्रपति के सचिव, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली
- 2. भारत के उप राष्ट्रपति के सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय, नई दिल्ली
- 3. प्रधान महानिदेशक, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली
- 4. सचिव, दूरसंचार विभाग, संचार भवन, नई दिल्ली
- 5. सचिव, उच्चतर शिक्षा विभाग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली
- 6. सचिव, सांख्यिकी विभाग, सरदार पटेल भवन, नई दिल्ली
- 7. सचिव, विधायी विभाग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली
- 8. सचिव, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग, सीएसआईआर बिल्डिंग, रफी मार्ग, नई दिल्ली
- 9. सचिव, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, पर्यावरण भवन, नई दिल्ली
- 10. सचिव, शहरी विकास मंत्रालय, निर्माण भवन, नई दिल्ली
- 11. सचिव, राजस्व विभाग, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली
- 12. सचिव, औद्योगिक विकास विभाग, उद्योग भवन, नई दिल्ली
- 13. सचिव, रक्षा उत्पादन एवं आपूर्ति विभाग, साउथ ब्लॉक, नई दिल्ली
- 14.सचिव, विधि कार्य विभाग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली

प्रतिलिपि प्रेषितः (i) आर्थिक सलाहकार, कारपोरेट कार्य मंत्रालय

- (ii) सचिव के प्रधान कार्मिक अधिकारी, कारपोरेट कार्य मंत्रालय
- (iii) अपर सचिव के प्रधान निजी सचिव, कारपोरेट कार्य मंत्रालय

प्रतिलिपि प्रेषितः निदेशक (ए.के.) - एमसीए वेबसाइट पर "कारपोरेट कार्य मंत्रालय की जनवरी, 2017 का मासिक सार" के अंतर्गत अपलोड करने के लिए

(अनिल प्राशर)

भारत सरकार का अवर सचिव

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

जनवरी, 2017 के दौरान महत्वपूर्ण नीति निर्णय और मुख्य उपलब्धियाः

- (1) अधिसूचनाएः
- (i) जनवरी, 2017 के दौरान कंपनी अधिनियम, 2013 (सीए-13) की धारा 462 के अधीन दो अधिसूचनाएं) (एक निजी कंपनियों के लिए और दूसरी सार्वजनिक कंपनियों के लिए) जारी की गई जिसमें भारतीय रिजर्व बैंक या भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड या भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा संचालन का लाईसेंस प्राप्त करने वाली कंपनियों, जो अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र (आईएफएससी) के अधीन है और जो विशेष आर्थिक क्षेत्र नियम, 2006 के साथ पठित विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम, 2005 के अधीन स्थापित हैं के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 के कुछ उपबंधों से छूट संशोधन और अनुकूलन का प्रावधान है।
- (ii) इन मसौदा अधिसूचनाओं द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा, 462 के अधीन दी गई मांग की अविध पूरा करने के पश्चात् दिनांक 04 जनवरी, 2017 को ये अधिसूचनाएं जारी की गई। इन अधिसूचनाओं के जारी करके गिफ्ट सिटी आईएफएससी क्षेत्र में कार्य करने वाले निजी/सार्वजनिक कंपनियों को उचित छूट देने के लिए गुजरात अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय औद्योगिकी शहर (गिफ्ट सिटी) के अनुरोध को पूरा किया गया है।
- (2) जनवरी, 2017 के दौरान संबंधित मंत्रालयों/विभागों को मसौदा कैबिनेट नोट परिचालित किया गया जिससे कंपनी (संशोधन) विधेयक, 2016 के लिए कैबिनेट का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किया जा सके और वित्त पर माननीय स्थायी समिति की 37वीं रिपोर्ट में दी गई सिफारिशों के संबंध में विधेयक में आधिकारिक संशोधन करने के लिए कैबिनेट का अनुमोदन लिया जा सके।